[2/12/2025]

प्रश्न सं. [क. 788]

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2016/आषाढ़ 24, 1938

No. 494] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2016/ ASADHA 24, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 701(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 के साथ पठित धारा 5, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 21 और धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयुध नियम, 1962 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

साधारण

1 संक्षिप्त नाम - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (I) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) "अधिनियम" से आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54) अभिप्रेत है ;

(2) "वायु शस्त्र" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो संपीड़ित वायु या अन्य गैस के दबाव के अधीन किसी नाल से प्रक्षेप्य किया जाता है किंतु जिसके अंतर्गत ऐसा करने के लिए कोई विस्फोटक प्रयोग नहीं किया जाता है ;

(3) "पुरातत्व लघु आयुध" से 1899 से पूर्व विनिर्मित अग्रायुध अभिप्रेत है ;

(4) "अपील प्राधिकरण" से नियम 105 में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(5) "प्राधिकारी" या "अधिकारी" से जहां इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट उपबंध है, के सिवाय जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाता है ;

(6) "स्वचालित" से कोई लघु आयुध या हल्के शस्त्र अभिप्रेत है जो कि प्रत्येक प्रक्षेपण के पश्चात् पुनः ऐसा शस्त्र सभी आवश्यक प्रक्रमों को स्वतः क्रिया करके पुनः गोलाबारी के लिए तैयार हो जाता है ; और गोलाबारी तबतक के लिए

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Scanned with CamScanner

परंतु यह और कि प्ररूप 2, प्ररूप 3 और प्ररूप 4 में प्रत्येक अनुज्ञप्ति की दशा में और किसी एकल विशिष्ट पहचान संख्यांक के अधीन तीन अग्रायुधों की किसी समग्र सीमा के साथ अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के निर्बन्धित या अनुज्ञेय प्ररूप के लिए प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति की दशा में पृथक् अनुज्ञप्ति पुस्तिका सृजित करेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन किसी बाहुल्य अनुज्ञप्ति धारक के किसी आवेदन प्ररूप की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक के विद्यमान बाहुल्य अनुज्ञप्तियों को निरस्त करेगा और उसके स्थान पर उक्त अनुज्ञप्तिधारी को सभी विद्यमान अग्रायुधों के लिए उसमें उसमें पृष्ठांकित कर नई अनुज्ञप्तियां जारी करेगा ।

(6) उपनियम (4) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी नए अनुज्ञप्तियों की विद्यमानतः अवधि निरस्त की गई किसी अनुज्ञप्ति में वर्णित अधिकतम अवधि होगी और क्षेत्र विद्यमानतः निरस्त अनुज्ञप्तियों में से किसी में अधिकतम विस्तारित क्षेत्र नई अनुज्ञप्तियों पर पृष्ठांकित होगा ।

16. **एनडीएएल के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्य** – (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी जब किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान या उसका नवीकरण करता है या इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को कोई संबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अनुमोदित संव्यवहार का डाटा स्थानीय इलैक्ट्रानिक रूप विधान के साथ-साथ उसकी लॉगइन पहचान के अधीन एनडीएएल प्रणाली पर भी अद्यतन हो जाए :

परंतु अनुज्ञप्तिधारी इलैक्ट्रानिक रूप विधान में ऐसे डाटा के अद्यतान होने को अनुज्ञापन प्राधिकारी के भाग पर किसी असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुसूची 5 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विभिन्न सेवाओं के, उक्त अनुसूनी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदान करने के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा ।

17. **किसी बाह्य अनुज्ञापन प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण और विद्यमान अनुज्ञापन प्राधिकारी से पते का परिवर्तन** - (1) यदि कोई व्यक्ति जो प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति रखता है, निवास स्थान में परिवर्तन, स्थायी या छः मास से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी रूप में करता है और अनुज्ञप्ति के अधीन आयुध को अपने साथ वहन करता है जो अनुज्ञप्ति में दर्शित विद्यमान अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता से भिन्न किसी अन्य स्थान में आता है, वह छः मास की अवधि के समाप्त होने के तत्काल पूर्व अपने नए निवास स्थान को अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन की सूचना भेजेगा और मांगने पर उसके साथ अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करेगा तथा प्ररूप ख -1 में नए आयुध या आयुधों के लिए नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा और उसमें अपने नए निवास की विशिष्टियों को दर्शित करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप ख-1 में कोई आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी के निवास के नए स्थान का अनुज्ञापन प्राधिकारी पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर एनडीएएल प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारी का रजिस्टर, जहां अनुज्ञप्तिधारी का विशिष्ट पहचान संख्यांक सक्रिय है और उसकी अधिकारिता को अंतरित करेगा तथा, यथास्थिति, मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी या अंतिम नवीकरण प्राधिकारी के अभिलेख से उसे असक्रिय करेगा और इसके पश्चात् एक नई अनुज्ञप्ति पुस्तिका अनुज्ञप्तिधारी को जारी करेगा तथा ऐसे नए प्राधिकारी उक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुज्ञप्ति या नवीकरण प्राधिकारी होंगे ।

(3) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपने निवास के स्थायी स्थान को विद्यमान अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर परिवर्तन करता है वह इसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपने नए निवास स्थान के सबूत के साथ देगा और यदि ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुलिस थाने की अधिकारिता में परिवर्तन होता है, के साथ वह अपने नए निवास के स्थान की पुलिस थाने को भी सूचना देगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर एनडीएएल प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारी के निवास में परिवर्तन को रजिस्टर करेगा, जहां अनुज्ञप्तिधारी का नए पुलिस थाने के अधीन विशिष्ट पहचान संख्यांक सक्रिय करेगा तथा अंतिम पुलिस थाने से उसे असक्रिय करेगा ।

18. **आयुध के कब्जे के लिए अनुज्ञा के पश्चात् अनुज्ञप्ति को प्रदान करना** – जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित आयुध के कब्जे के लिए प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4 या प्ररूप 5 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले आयुध के लिए निदेश दे सकेगा कि दो वर्ष की अवधि के भीतर अर्जित करना होगा या आयुध या दोनों उसके निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा और यदि दो वर्ष की अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी आयुध को अर्जित करने में तथा अनुज्ञप्ति देने में असफल रहता है या, यथास्थिति, आयुध या दोनों अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी :

परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी दो वर्ष की अवधि को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर एक वर्ष की और अवधि के लिए ऐसे विस्तार को प्रदान करने के लिए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, यदि दो वर्ष की अवधि या एक वर्ष की विस्तारित अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी किसी भिन्न वर्णन के किसी आयुध या आयुधों को अर्जित करने या कब्जे में रखने की इच्छा करता है और अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे आयुध या आयुधों के अर्जन और कब्जे में अनुज्ञात करने को कोई आपत्ति नहीं है वह तद्नुसार अनुज्ञप्ति को संशोधित कर सकेगा :

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Scanned with CamScanner